

Form No. III


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर  
पटवार रोझां बनाम सरकार

G.C.M.S- 2021/36

किरम मुकदमा:- 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा.....29 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/21	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरणसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। मुताबिक रिकॉर्ड तहसीलदार लूनकरणसर पटवार मण्डल रोझां द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल रोझां के चक 12CHD के मु.नं. 208/27 के किला नम्बर 4ता7, 13ता20 व 22ता25 की प्रविष्टि वर्तमान जमाबन्दी 2074-2077 में खाता संख्या 5,15,16,17 व 32 में दोहरी दर्ज है तथा मु.नं. 208/26 के उपरोक्त किला नम्बर (जमाबन्दी में दोहरी प्रवष्टी वाले) नक्शे में है परन्तु जमाबन्दी में दर्ज नहीं है जिसके कारण DILRMP योजनार्गत One To One मिलान नहीं हो रहा है अतः श्रीमान जी मौके अनुसार खाता संख्या 05 में मु.नं. 208/27 के किला नम्बर 16/2 की जगह किला नम्बर 16 खाता संख्या 01 में मु.नं. 208/26 में किला नम्बर 20 की जगह 20/2 खाता संख्या 17 में मु.नं. 208/27 के किला 25/2 की जगह 25 खाता संख्या 16 में मु.नं. 208/27 के किला नम्बर 4/2,7/1,13/1, 14/1, 15/2, 17/2, 18/1, 19/2, 23/2, 24/1 की जगह किला नम्बर 4,7,13ता15, 17ता19ख, 23,24 खाता संख्या 15 में मु.नं. 208/27 के किला नम्बर 5/2,6/1,22/2 की जगह किला नम्बर 5,6,22 व खाता संख्या 32 में मु.नं. 208/27 की जगह मु.नं.208/26 व किला नम्बर 4/1,5/1,6/2,7/2,13/2,14/2, 15/1,16/1,17/1,18/2, 19/1,20/3,22/1,23/1, 24/2,25/1 की जगह किला नम्बर 4ता7, 13ता19, 20/1, 22ता25 शुद्धी किया जाना उचित हैं की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरणसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्ताव में पटवार हल्का रोझां की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर द्वारा दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट मु.नं. 208/26 के स्थान पर मु.नं. 208/27 भूलवश दर्ज हो गया जिससे मु.नं. 208/27 से सम्बन्धित सभी खातों में दोहरा इन्द्राज हो गया है जिसे दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफत्तर हों।</p>	

(भागीरथ कान्करा)  
उप खण्ड अधिकारी  
लूनकरणसर